फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री उदयसिंह पिता केसरसिंह परमार निवासी सापोल तहसील व जिला राजसमन्द
– अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, जिला राजसमन्द
2. श्री रूपसिंह पिता केसरसिंह परमार राजपूत निवासी सापोल तहसील व जिला राजसमन्द
3. श्री खेमसिंह पिता केसरसिंह परमार राजपूत निवासी सापोल तहसील व जिला राजसमन्द
4. तुलसीबाई पुत्री केसरसिंह पत्नी भंवरसिंह चदाणा राजपूत निवासी वंशावलियो का गुडा चदाणा की भागल तहसील व जिला राजसमन्द
5. मोहनीबाई पुत्री केसरसिंह पत्नी मोहनसिंह खरवड निवासी आत्मा दादिया की भागल तहसील व जिला राजसमन्द

– रेस्पोण्डेंटगण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किस्म मुकदमा– नामान्तरण अपील **पत्रावली संख्या 30/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 07.06.2021 पत्रा0 पेश हुई। प्रकरण दफा 5 मयाद प्रा0पत्र पर आदेश हेतु नियत हैं। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 564 स्वीकृत दिनांक 04.09.1998 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण अवैध रूप से स्वीकृत किया गया है। अवैध आदेश को चुनौति देने के लिये कोई मियाद नहीं है। मामला अपीलांट का जायदाद से संबधित है, इसके विधिक हक अधिकार जुडे हुए है। अपीलांट के वैद्य हक अधिकार अवैध रूप से समाप्त किये गये है। ऐसे आदेश को कभी भी चुनौति दी जा सकती है। अपीलांट को उक्त मामले मे कभी सुना ही नहीं गया है, बिना सुने ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित नमान्तरकरण फैसल किया गया है, जिसकी जानकारी नकल प्राप्त करने पर होते ही शीघ्र यह अपील पेश की गयी। यदि उक्त मामले को तकनीकी आधार पर अस्वीकृत किया जाता है तो अपीलांट के विधिक हक अधिकार काफी प्रभावित होगे और न्याय से वंचित होगें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले मे अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर नामान्तरण स्वीकृत किया है। विरासत का नामान्तरण स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त है लेकिन तहसीलदार द्वारा उक्त मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर विरासत की जांच किये बगैर एवं केसरसिंह की विरासत को प्रमाणित कराये बगैर ही आलोच्य नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील मियाद अन्दर ली जाना न्यायहित में उचित हैं। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा अपीलांट की ओर से तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि	

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विलम्बित अवधि को कण्डोन की जाकर मयाद में शुमार कराना फरमावें।

रेस्पोण्डेंट सं0 2 से 5 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 04.09.1998 को तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा सभी प्रकार की जांच एवं विरासत की सत्यता जांचने के पश्चात नामान्तरकरण फैसल किया गया, वक्त निर्णय ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। नामान्तरकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील करने की मियाद 30 दिवस है जबकि अपीलांट द्वारा 21 वर्ष पश्चात अपील की गयी। वह सैद्धान्तिक रूप से असत्य व गलत है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स सभी गुलाबसिंह के वारिसान है। जिनका सजरा अनुसार केसरसिंह व जोधसिंह दोनो सगे भाई थे। जोधसिंह के कोई संन्तान नहीं होने पर उदयसिंह को जोधसिंह ने गोद रखा था और जोधसिंह की सम्पूर्ण जायदाद उदयसिंह के नाम पर है। चूंकि जोधसिंह द्वारा उदयसिंह के पक्ष मे रजिस्टर्ड गोदनामा नहीं किया गया था । केवल हिन्दु रितिरिवाज के अनुसार ही उदयसिंह को गोद रखा था एवं उदयसिंह की उम्र काफी हो जाने के कारण गोदनामा पंजीयन नहीं होने पर उदयसिंह ने अपने नाम पर विक्रय पत्र के आधार पर जोधसिंह की सारी जमीन अपने नाम करवायी। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट से विवाद होने के कारण व जमीन खनन क्षेत्र मे होने के कारण उक्त अपील पेश की गयी है। जो मियाद बाहर है। अपीलांट के द्वारा खसरा संख्या 1123 के संबंध में रेस्पो0 संख्या 3 मेघसिंह के मध्य राजीनामा दिनांक 19.09.1979 को हुआ। जिसके अनुसार उदयसिंह के पिता नाम मुतबन्ना जोधसिंह लिखा गया है एवं राजीनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। जब अपीलांट अपने चाचा जोधसिंह के यहा गोद चला गया व जोधसिंह की समस्त जायदाद जो जोधसिंह की थी वह उदयसिंह के पास है। ऐसे में उदयसिंह का अपने चाचा जोधसिंह के यहां गोद चले जाने के पश्चात अपने पिता केसरसिंह की जायदाद में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं बनता है। अपीलांट के पुत्र नाहरसिंह के द्वारा इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) का सतही अधिकार का मुकदमा दर्ज होकर जिसके प्रकरण संख्या 04/2015 है। अर्थात् अपीलांट को उक्त नामान्तरण की जानकारी 2015 से थी । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हैं कि अपीलांट द्वारा पेश की गयी अपील विलम्ब से पेश की हैं। अतः अपीलांट की अपील मयाद बाहर होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज कराना फरमावें।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उक्त मामले में अपीलांट अपने चाचा जोधसिंह के यहा गोद चला गया व जोधसिंह की समस्त जायदाद जो जोधसिंह की थी वह उदयसिंह के पास है। ऐसे में उदयसिंह का अपने चाचा जोधसिंह के यहां गोद चले जाने के पश्चात अपने पिता केसरसिंह की जायदाद में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं बनता है। खसरा संख्या 1123 के संबंध में रेस्पो0 संख्या 3 मेघसिंह के मध्य राजीनामा दिनांक 19.09.1979 को हुआ। जिसके अनुसार उदयसिंह के पिता नाम मुतबन्ना जोधसिंह लिखा गया है एवं राजीनामे पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। साथ ही बहिनो द्वारा भी केवल दो भाईयों के नाम हक त्याग किया है। इस प्रकार उक्त मामले में प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट हैं कि गोदनामा व बेचान मे भी अपीलांट के नाम के साथ उदयसिंह मुतबन्ना जोधसिंह लिखा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है। जिसका मतलब है कि अपीलांट गोद गया हुआ हैं। ऐसे में अपीलांट का अपने चाचा जोधसिंह के यहां गोद चले जाने के पश्चात अपने पिता केसरसिंह की जायदाद में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं बनता है। अपीलांट के पुत्र नाहरसिंह के द्वारा इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (4) का सतही अधिकार का मुकदमा दर्ज होकर जिसके प्रकरण संख्या 04/2015 है। अर्थात् अपीलांट को उक्त नामान्तरण की जानकारी 2015 से होने के बावजूद उक्त अपील 21 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद रेस्पोडेन्टगण को जानबुझ कर मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उक्त अपील प्रस्तुत की है। जबकि नामान्तरकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील करने की मियाद 30 दिवस हैं। उक्त प्रकरण खातेदारी अधिकार की घोषणा से सम्बन्धित हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रार्थी को कोई अनुतोष विधिक रूप से देय नही हैं। अपीलांट यदि कोई रिलीफ चाहता है तो सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए घोषणा का वाद प्रस्तुत करें एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 नामान्तरण अपील में अपीलांट के अधिकारों के संबंध में कोई फैसला नही दिया जा सकता हैं। इसके साथ ही इस नामान्तरण की जानकारी पिछले कई वर्षो से अपीलांट को थी। फिर भी अपीलांट द्वारा 21 वर्ष के बाद उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलांट को नामान्तरकरण की जानकारी होने के बावजूद 21 वर्ष के इतने लम्बे विलम्ब को माफ नही किया जा सकता हैं।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन तथा समय बाधित (Time Barred) व मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

M

जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)